दिनांक 13/09/2020

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पांच दुकानदारों पर लगाया 2400 रुपए जुर्माना

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम और सुपेला पुलिस की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पांच दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। पांच दुकानदारों से कुल 2400 रुपए जुर्माना वसूला गया। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन घोषित किया है। लॉकडाउन के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवा जैसे मेडिकल दुकान आदि को रियायत दी गई है। इसके बावजूद कुछ लोग दुकान का आधा शटर खोल कर व्यावसाय कर रहे थे। शिकायत पर जोन- 1 के सहायक राजस्व अधिकारी और पुलिस की टीम हार्डवेयर लाईन , सुपेला बाजार, आकाशगंगा, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद चौक, लक्ष्मी नगर सब्जी बाजार, मटन मार्केट, इमामबाड़ा रोड किनारे के दुकानों का निरीक्षण किया तो पाया कि मटन मार्केट में कुछ दुकानों का शटर आधा खुला हुआ है। पुछताछ में व्यवसाय करना पाया गया। वहीं कपड़ा दुकान , किराना दुकान, होटल भी खुला हुआ मिला। सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे ने इन सभी दुकानों में चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान यातराम चन्द्राकर , राजेश गुप्ता, क्रिस्टोफर पाल, सुपेला थाना के जवान रवि कुमार , रजनीश तिवारी, पन्ने लाल मौजूद थे।

जनसंपर्क अधिकारी